ISBN: 978-93-93166-00-5

बाल यौन अपराध:पोक्सो एक्ट के संदर्भ में एक अध्ययन

ज्योति मेहरा
रिसर्च स्कॉलर
राजनीति विज्ञान विभाग
राज ऋषि भरथरी मत्सय यूनिवर्सिटी
अलवर ,राजस्थान, भारत

सारांश

हमारे देश में बालक वह माना जाता है जिसकी अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम हो। बालक आगामी समय के निर्माणकर्ता व देश का भविष्य हैं।वर्तमान में बच्चों के साथ अनगिनत अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।जिसके कारण देश में बच्चे सुरक्षित नहीं है।आए दिन बच्चों के साथ यौन शोषण,बलात्कार,कन्या भ्रूण हत्या,बाल विवाह,बाल मजदूरी आदि अपराध की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है।अगर इसी प्रकार बच्चों के साथ अपराध बढ़ते जाएंगे तो देश का विकास भी करती में चला जाएगा क्योंकि एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव उस राष्ट्र में रहने वाले स्वस्थ और सुरक्षित बच्चे होते हैं।समसामयिक यौन शोषण की बात करें तो महिलाओं से ज्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले ज्यादा है।जो एक चिंता का विषय है।देश के लिए बाल यौन शोषण अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है।

बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर सरकार द्वारा नवीन कानून और योजनाओं का निर्माण किया गया है।सरकार के द्वारा बालकों के संतुलित विकास व

ISBN: 978-93-93166-00-5

उनके मार्ग को अवरुद्ध करने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु 17 मई, 2013 से बाल अधिकारों के संरक्षण व पुनर्वास के लिए निदेशालय, बाल अधिकारिता का गठन किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में 19 अक्टूबर, 2011 को निःशक्तजन निदेशालय की स्थापना की गई, मार्च, 2012 में में इसका नाम परिवर्तित कर 'विशेष योग्यजन निदेशालय कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा बालकों के विरुद्ध अपराध व संरक्षण हेतु कानूनों का वर्णन निम्न है।

1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ¼POCSO & &ACT½

उद्देश्य

बालकों के विरूद्ध लैंगिक हमला लैंगिक उत्पीड़न अश्लील साहित्य के अपराधों से संरक्षण और ऐसे अपराधों के विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना।

लागू

भारत सरकार के द्वारा बच्चों के विरूद्ध बढ़ते लैंगिक अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए एक विशेष कानून 'लैंगिक अपराधों' से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (च्तवजमबजपवद व िब्ीपसकतमद तिवउ ैमÛनंस व् िमिदबमे ।बज, 2012-च्व्ब्ैव्) लागू किया गया, जो 14 नवम्बर, 2012 से सम्पूर्ण देश में प्रभावी हुआ। 1

स्वरूप

इस अधिनियम में 18 वर्ष की आयु से कम के बालकध्बालिकाओं के को शामिल किया गया है, तो वहीं इस अधिनियम में बच्चों को सभी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषणध्हिंसा, लैंगिक प्रताड़ना, अश्लील चित्र दिखाना, बच्चों से अश्लील कार्य करवाना, अश्लील टिप्पणियाँ एवं गालियाँ

ISBN: 978-93-93166-00-5

देना, अश्लील सामग्री का संधारण एवं बच्चों को खरीद-फरोख्त सहित लैंगिक उत्पीड़न ध् शोषण हेतु बच्चों की तस्करी से सुरक्षा प्रदान करना है तथा इसमें स्थानीय पुलिस व विशेष किशोर इकाई को विभिन्न महत्त्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं। इसके तहत् विभिन्न कार्यवाही व प्रावधान किये गये हैं। कार्यवाहीः बच्चों के विरूद्ध कारित लैंगिक अपराध या अपराध कारित होने की आशंका के संबंध में प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाने के ड्यूटी अधिकारीध् महिला एवं बाल हेल्प डेस्क के द्वारा सक्रियता से कार्य किया जाकर बाल कल्याण अधिकारी या उपस्थित अधिकारी को सूचित किया जायेगा जो इस संबंध में प्राथमिकता से त्वरित कार्यवाही करेगा। जब बच्चों के विरूद्ध कारित लैंगिक अपराध या अपराध कारित होने की आशंका के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष या पुलिस स्टेशन या चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) पर फोन के माध्यम से सूचना दी जाती है तो जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष और ड्यूटी अधिकारीध्बाल कल्याण अधिकारी उक्त सूचना को गम्भीरता से लेते हुये , बिना विलम्ब किये हुये घटना स्थल पर पहुँचेंगे, तो वहीं किसी भी बच्चे को शिकायत के लिए थाने पर आने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही किसी भी स्थिति में उसे थाने पर बुलाया जा सकेगा।

अधिनियम में अध्यायों की संख्या- 9

अधिनियम में धारा -46

इस अधिनियम को बाल दिवस के उपलक्ष्य पर 14 नवम्बर, 2012 की सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम की मोडल एजन्सी 'महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय है। यह अधिनियम बाल यौन शोषण के तहत आने वाले व्यों को अपराध घोषित करता है।

"च्ब्ै्व् कानून 2012" के तहत कानूनी प्रावधान इस अधिनियम में भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार स्वतंत्र सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने की

ISBN: 978-93-93166-00-5

उम्र 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

^POCSO^ कानून 2012" जम्मू-कश्मीर राज्य सहित सम्पूर्ण भारत में लागू होता है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ हुए यौन अपराधों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है।

कानून 2012" के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चा विश्वास करता है उनकी उपस्थिति में की जाएगी।

कानून 2012" में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अभियुक्त किशोर है, तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 में मुकदमा चलाया जाएगा।

कानून 2012" में यह एक विशेष प्रावधान किया गया है, कि पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घण्टे के अंतर्गत 'बाल कल्याण समिति' (ब्ॅब्) की निगरानी में लाया जाएगा।

कानून 2012 में यह बताया गया है, कि किसी भी बच्चे की डमकपबंस जाँच महिला चिकित्सक की उपस्थित में की जाएगी।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 च्ब्ैव् ।ब्ज् के मुख्य प्रावधान धारा 01 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार संक्षिप्त नामः लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रारम्भः- 14 नवम्बर 2012 (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) नोट- 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। अब जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम 31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी हो गया है।

विस्तार

सम्पूर्ण भारत पर (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) नोट- वर्तमान में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में प्रभावी है।

ISBN: 978-93-93166-00-5

धारा 2- परिभाषा 2-क् बालक

ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है।

2-म्- साझी गृहस्थी

ऐसी गृहस्थी जहाँ अपराध से आरोपित व्यक्ति या किसी भी प्रक्रम पर बालक के साथ घरेलू सम्बन्धी में रहा है। धारा-3 प्रवेशन लैंगिक हमला जब एक व्यक्ति अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनी मुँह सूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है या किसी वस्तु या शरीर के ऐसा भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है या बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथबालक के साथ ऐसा करवाता है।

धारा-4- प्रवेशन लैंगिक हमलों के लिए सजा दोनों में से कोई भी कारावास न्यूनतमः 7 वर्ष अधिकतमः आजीवन कारावास और जुर्माना

धारा-5 गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला

1. जो पुलिस अधिकारी प्रवेशन लैंगिक हमला करता है.
2. सशस्त्र बल का सदस्य प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
3. लोक सेवक होते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
4. संरक्षण गृह प्रतिप्रेषण गृह या संप्रेषण गृह या अभिरक्षा में रह रहे बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला 5.
5. अस्पताल (सरकारीध्निजी) का कर्मचारी अस्पताल में बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
6. शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधक या कोई भी कर्मचारी द्वारा बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला

ISBN: 978-93-93166-00-5

7. सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करना ।
8. किसी भी बालिका की दशा में जब वह गर्भवती है।
9. मानसिक या शारीरिक अशक्त बालकों के साथ हमला करना ।
10. जो एक से अधिक बार-बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
11. जो 12 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला

धारा-6- गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए सजा

न्यूनतम -10 वर्ष का कठोर कारावास

अधिकतम- आजीवन कारावास ः जुर्माना

धारा-7- लैंगिक हमला जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है,जिसमें प्रवेशन किये बिना शारीरिक अन्तग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करना, कहा जाता है।धारा 8- लैंगिक हमले के लिए दण्ड सजा ध् शास्ति न्यूनतम -3 वर्ष का कारावास ः जुर्माना अधिकतम 5 वर्ष का कारावास ः जुर्माना (दोनों में से कोई सा भी कारावास)धारा-9- गुरूत्तर लैंगिक हमला । धारा-10- गुरूत्तर लैंगिक हमले की सजा ध् दण्ड ध् शास्ति दोनों में से कोई भी कारावास।न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास अधिकतम- 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना धारा-11- लैंगिक उत्पीड़न कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जायेगा या किसी बालक को उसके शरीर या उसको शरीर का कोई अंग प्रदर्शित कराता है जिससे उसको व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके। अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी

ISBN: 978-93-93166-00-5

बालक कोई वस्तु दिखाता है या अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का इस्तेमाल जो कोई किसी बालक का मीडिया के (जिसमें टीवी चैनलों या इंटरनेट या काई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं सम्मिलित है) किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है।

धारा-12- लैंगिक उत्पीड़न की सजाध्दण्ड ध् शास्ति न्यूनतम 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों में से किसी भी भांति का कारावास धारा-13- अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग किसी बालक की जननेन्द्रियों का प्रदर्शन करना । किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना।किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना । वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।

धारा-14- अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए सजाध्दण्ड ध् शास्ति दोष सिद्धि पर 5 वर्ष का कारावास और जुर्मानाद्वितीय ध् दोष सिद्धि पर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना धारा-15- बालक को अन्तर्गस्त करने वाले अश्लील साहित्य ःके भण्डारण(संग्रह) के लिए दण्ड कठोर कारावास तीन वर्ष और जुर्माना धारा-16- किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण जो किसी अपराध के लिए इस अधिनियम में बताया गया है।

धारा-17- दुष्प्रेरण के लिए सजा जो इस अधिनियम में अपराध केलिए बतायी गयी है। धारा 18 किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दण्ड ।

ISBN: 978-93-93166-00-5

धारा-19- अपराधों की रिपोर्ट करना जो ऐसी जानकारी रखता है। कि ऐसा कोई भी अपराध किया गया है, जिसे आशंका है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किये जाने की संभावना है, निम्न कोजानकारी देगा।

1. विशेष किशोर पुलिस यूनिट,
2. स्थानीय पुलिस

धारा 20- मामले की रिपोर्ट के लिए मीडिया, स्टुडियो या फोटो चित्रण सम्बन्धित सुविधाओं की बाध्यता एवं प्रतिबन्ध सम्बन्धित प्रावधान।

धारा 21 मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने पर दण्ड धारा-22- मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के दण्ड ध् सजाध्शास्ति 6 माह का कारावास और जुर्माना धारा 23 मीडिया के लिए प्रक्रिया धारा-24- बालक के कथन को अभिलिखित करना बालक के कथन को बालक के निवास स्थान या उसकी पसंद के स्थान पर यथा संभव उपनिरीक्षक (ैप्) की पंक्ति का पुलिस अधिकारी अभिलिखित करेगा तथा बयान या कथन अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।

धारा 25 मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन धारा 26 अभिलिखित किये जाने वाले कथन के सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबन्ध धारा 27- बालक का चिकित्सकीय परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 (क) के अनुसार बालक का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा और यदि बालिका है तो परीक्षण महिला चिकित्सक द्वारा किया जाएगा या माता-पिता तथा ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर बालक भरोसा या विश्वास करता है, चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।

धारा-28- विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना

ISBN: 978-93-93166-00-5

द्वारा प्रत्येक जिले के सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में स्थापित करती है।

धारा 29 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा धारा 30 अपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा धारा 31 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। धारा-32- विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करती है। पात्रताः- कोई भी व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक का पात्र तभी होगा जब उसे 7 वर्ष के विधि व्यवसाय (वकालत) का अनुभव हो। धारा 33 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ धारा 34 बालक द्वारा किसी अपराध के घटित होने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारणा करने की दिशा में प्रक्रिया धारा 35 बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करने और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि धारा 36 प्रमाणित करते समय बालक का अभियुक्त को न दिखना धारा-37- बंद कमरे में विचारण - बालक के माता-पिता या अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में न्यायालय बंद कमरे में विचारण करेगा धारा 38 बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषिया या विशेषज्ञ की सहायता लेना धारा 39 विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक केळमार्गनिर्देश धारा 40 विधि व्यवसायी की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार लिए धारा 41 कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना धारा 42 अनकल्पिक दण्ड धारा 42क अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना धारा 43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता धारा 44 के क्रियान्वयन की मॉनीटरी धारा-45- नियम बनाने की शक्ति धारा 46 कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति नोट- च्ब्ब्ैव् ।बज 2012 की धारा 45 के अन्तर्गत राज्य सरकार

ISBN: 978-93-93166-00-5

को उक्त अधिनियम को राज्य में प्रायोजित करने हेतु शक्ति प्रदान की गई है। जिसके अन्तर्गत राजस्थान में निम्न नियमावली जारी की गई है

नियम 1 नियमों का नाम 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012' होगा तथा इनके प्रवृत्त होने की तारीख राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से होंगी।

नियम 2- परिभाषाएँ

नियम 3- दुभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षक

नियम 4- देखरेख और संरक्षण

नियम 5 -आपात चिकित्सा देखरेख

नियम 6- अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरी

नियम 7- प्रतिकर

नोटः- "POCSO कानून 2012 " में यह कठोर प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष तक की बच्ची के साथ रेप करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे फाँसी की सजा दिये जाने का प्रावधान रखा गया है, तथा ऐसा प्रावधान लागू करने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश तथा दूसरा राज्य राजस्थान है।

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 भारत सरकार 26 अप्रैल, 2013 को बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय नीति अंगीकार की गई। यह नई नीति सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, जिसके तहत् 18 वर्ष की आयु से नीचे के सभी व्यक्तियों को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है, तो वहीं इस नीति के अंतर्गत बचपन को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है, जिसका अपना महत्त्व है, इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास और उसकी सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक, टिकाऊ, बहुपक्षीय समेकित और समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। इस नीति के प्रमुख निर्देश

ISBN: 978-93-93166-00-5

इस प्रकार हैं- 1. प्रत्येक बच्चे को जीवन जीने का विकास, शिक्षा, सुरक्षा और सहभागिता का अधिकार सुनिश्चित करना 2. बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान अधिकार देना 3. बच्चों से संबंधित कार्यों और निर्णयों में बच्चों के हितों की प्राथमिकता सुनिश्चित करना तथा 4. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराना।

सन्दर्भ

1. *Burt]Cyril]^^The Young Delinquent"] University of London Press] London-1944-*
2. *Jones]^^Juvenile Delinquency" and Law] 1980-*
3. *Quoted by Calvert] ^^Capital Punishment in the 20th Century"] 1990-*
4. *Knudten and Schafter]^^Juvenile Delinquency"; An Introduction] Random House] New York] 2003-*
5. *Gillin & Gillin]-"Criminology and Penology" ¼3rd Ed-½ New York% Appleton Century- 2005-*
6. *Neumayer] Martin]^^Juvenile Delinquency in Modern Society"] New York--2007-*
7. *Sharma]Virendra Prakash] ^^Social Problems in Contemporary India"] Panchsheel Prakashan] Jaipur]2005-*
8. *Elliot] Mabel] ^^Crime in Modern Society"] Harper & Bros- New York- 1952-*
9. *Charan subhash]chohaan aashu]^^ Crime against Women Childrens]koshantoob printers]jaipur]2020-*
10. *https%//www-drishtiias-com/hindi/loksabha&rajyasabha&discussions/pocso&new&rules*